रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244474 CG-DL-E-18032023-244474

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] No. 162] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 2023/फाल्गुन 27, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 2023/PHALGUNA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 मार्च. 2023

सं. 16/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.िन. 201(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पिठत उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नवंबर, 1994 जिसे का. आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, गुजरात राज्य से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, कॉलम (3) में, आइटम (ग) में प्रविष्टि के बाद और कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि के बाद, को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

1793 GI/2023 (1)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमान पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		" (घ) वडोदरा	सामान की उतराई एवं सामान की लदाई।"।

[फा. सं. CBIC-50394/13/2023-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

आनंद राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 828 (अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 01/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 04 जनवरी, 2023, सा.का.नि. 9 (अ), दिनांक 04 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2023

No. 16/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 201(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 6 relating to the State of Gujarat, in column (3), after the entry at item (c) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

SI. No.	State/Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		" (d) Vadodara	Unloading of baggage and loading of baggage.".

[F. No. CBIC-50394/13/2023-Anti Smuggling Section-CBEC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director

Note:- The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 01/2023-Customs (N.T.) dated the 04th January, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 9 (E), dated the 04th January, 2023.